



109

334

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट

कोर्ट रीवा (म0प्र0)

निरा० ४३०८/ रीवा/ २०१८/ ५२३७

आधिकारी के लिए दुलाद
जिला बाट परा ॥ २०१८

द्वारिका प्रसाद गुप्ता तनय परागू गुप्ता, निवासी ग्राम पाडर, थाना व तह0
मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

- 1— यज्ञसेन पटेल पिता श्री पारसनाथ पटेल,
- 2— परमेश्वर पटेल पिता श्री पारसनाथ पटेल
- 3— शेषभणि पटेल पिता रामेश्वर प्रसाद पटेल
- 4— ज्ञानेन्द्र पटेल पिता श्री रामेश्वर प्रसाद पटेल
- 5— मुन्नी पति स्व0 रामेश्वर प्रसाद पटेल
- 6— मुस0 बेबा गुलाबकली पत्नी रामसिया
- 7— अशोक कुमार तनय रामसिया
- 8— संदीप कुमार तनय रामसिया
- 9— रानी पुत्री रामसिया
- 10— सुनीता पुत्री रामसिया

सभी निवासी ग्राम पाडर, तह0 मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

— गैरपुनरीक्षणकर्ता —

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व
संहिता 1959 विरुद्ध आदेश अनुविभागीय
अधिकारी तह0 मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0 के
आदेश दिनांक 06.06.2018 प्र0क0

०९३-२७ / १५-१६ में पारित ।

मान्यवर

आवेदक की ओर से निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न
आधारों पर प्रस्तुत हैः—

- 1— अधीनरब्ध न्यायालय का आदेश दिनांक 06.06.2018 सर्वथा विधि
विधान तथा न्यायिक प्रक्रिया तथा सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से
निरस्त होने योग्य है।

मै

दूर्लकापुलार

राजस्व भण्डल, मध्यप्रदेश र्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—आ

109

क्रमांक R4307-रीवा /18

जिला—रीवा

द्वारिका प्रसाद मिश्रा वगैर/ यजसेन पटेल

(1)	(2)	(3)
१५४१७ ०६.३.	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुनेन्द्र प्रसाद मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 99/आ 27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० मू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p>M</p> <p>(महेशन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	